वी. रामास्वामी सी.जे, और डीवी सहगल, जे के समक्ष

अनिल कुमार, -याचिकाकर्ता।

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1987, 6202.

23 नवंबर 1987.

*भारत का संविधान,*1950—अनुच्छेद 226—इस्तीफा वापस लेने और न्यायालय के आदेश के तहत ड्यूटी पर फिर से शामिल होने की तारीख के बीच की अवधि के लिए दावा किया गया वेतन का बकाया—परिणामी राहत के लिए प्रार्थना, लेकिन विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई—प्रार्थना—क्या यह माना जा सकता है कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है - परिणामी राहत का भुगतान न करने के आधार पर अवमानना याचिका खारिज कर दी गई - बकाया जारी करने के लिए नई रिट याचिका दायर की गई - मुकदमे का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है - दावा - क्या अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में अनुमति दी जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही उच्च न्यायालय के फैसले ने परिणामी राहत के संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया हो, लेकिन नियोक्ता को कर्मचारी को फिर से ड्यूटी पर लौटने की अनुमति देने का निर्देश दिया हो, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि परिणामी राहत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया गया माना जाना चाहिए। . एक बार जब यह माना जाता है कि इस्तीफा वापस लेने के बाद अब वैध नहीं है, तो इसका परिणाम यह होगा कि इस्तीफा किसी भी समय लागू नहीं माना जाएगा और कर्मचारी को उस तारीख से सेवा में माना जाएगा जिस दिन उसने वापस लिया था। उनका इस्तीफा उस तारीख तक है जब उन्हें ड्यूटी पर फिर से शामिल होने की अनुमति दी गई थी। परिणामी आदेश कि वह बकाया वेतन का हकदार है, का विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा दावा है जो मानित घोषणा की राहत से उत्पन्न होता है कि वह सेवा में था और इसलिए, उसे काम किया हुआ माना जाएगा और वह उस अवधि के लिए वेतन का हकदार है। (पैरा 1).

अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि कर्मचारी के पास नियमित मुकदमे का उपाय था, ऐसे मामले में, जैसा कि वर्तमान में है, अदालत को उसे वेतन के बकाया के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। पहले के आदेश को भी राहत देने वाला माना जाएगा। न्यायालय को अपने पहले के आदेश को लागू करना चाहिए चाहे वह रिट याचिका के माध्यम से हो या अवमानना याचिका के रूप में। (पैरा 2).

अभिनिर्धारित किया गया कि अवमानना के आवेदन को खारिज करने के आदेश को पुनर्निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है। (पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देशित करते हुए परमादेश, उत्प्रेषण या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए:

(i) इस माननीय न्यायालय के समक्ष संपूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत करना;

(ii) एक परमादेश रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को उस अवधि के वेतन आदि के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, जिस अवधि के लिए उनके द्वारा अवैध रूप से नौकरी से बाहर रखा गया था/18 प्रतिशत प्रति वर्ष;

(नमस्ते) माननीय न्यायालय कोई अन्य राहत दे सकता है जो वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी जाए;

(iv) याचिकाकर्ता को इससे छूट दी जाए। याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना;

(v) उत्तरदाताओं को रिट याचिका की अग्रिम सूचना देने की शर्त को समाप्त किया जाए;

(vi) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील सुभाष आहूजा।

प्रतिवादियों की ओर से जीसी गर्ग वरिष्ठ अधिवक्ता, राजन गुप्ता, अधिवक्ता।

निर्णय

वी. रामास्वामी, सी.जे.-

(1) याचिकाकर्ता 1969 से प्रतिवादी-निगम में कार्यरत था। उसने अपना इस्तीफा 19 फरवरी, 1982 को प्रस्तुत किया। हालाँकि, उसने 26 अप्रैल, 1983 को इस्तीफा वापस ले लिया और इस आधार पर ड्यूटी पर वापस आना चाहता था कि उसका इस्तीफा 26 तारीख तक स्वीकार नहीं किया गया था। अप्रैल, 1983. प्रतिवादी-निगम ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए दोबारा शामिल होने की अनुमति नहीं दी कि वह पहले ही इस्तीफा दे चुका है। इस्तीफे की वैधता और प्रतिवादी-निगम में काम करने के उनके अधिकार का प्रश्न 1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 1408 का विषय था। उस रिट याचिका में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने माना कि चूंकि इस्तीफा नहीं दिया गया था। स्वीकार कर लिया गया, याचिकाकर्ता इसे वापस लेने का हकदार था और वापसी प्रभावी थी और इसलिए, उसे ड्यूटी पर फिर से शामिल होने की अनुमति देने से निगम का इनकार वैध नहीं था। इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका की अनुमति दी गई और प्रतिवादी-निगम को याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया। डिविजन बेंच का आदेश 13 सितंबर का है. 1985 और यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता 15 अक्टूबर, 1985 को फिर से सेवा में शामिल हुआ। इसके बाद, उसने 26 अप्रैल, 1983 से 15 अक्टूबर, 1985 तक की अवधि के लिए वेतन का दावा किया, जिस तारीख को उसे अपनी ड्यूटी पर फिर से शामिल होने की अनुमति दी गई थी। चूंकि प्रतिवादी-निगम

बकाया वेतन का भुगतान करने को तैयार नहीं था, याचिकाकर्ता ने 1986 की सीओसीपी संख्या 266 दायर की और वह याचिका 21 नवंबर, 1986 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गई कि प्रार्थना अवमानना याचिका के दायरे में नहीं आती है। और वह उचित उपाय ढूंढ सकता है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 26 अप्रैल, 1983 से 15 अक्टूबर, 1985 तक उक्त अवधि के लिए बकाया वेतन जारी करने की प्रार्थना करते हुए सी. एम. नंबर 634/1987 दायर किया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्री मामले में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए। ब्रह्म दत्त शर्मा और इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने उस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिट याचिका के निपटान के बाद नागरिक विविध आवेदन 'सुधार योग्य हैं, और याचिकाकर्ता को किसी अन्य उपाय को अपनाने की अनुमति दी गई थी जो उसके परिणामस्वरूप खुला हो सकता है। 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1408 में दिया गया निर्णय। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है जिसमें प्रतिवादी-निगम को बकाया वेतन जारी करने के लिए उचित निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। प्रतिवादी-निगम के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि हालांकि 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1408 में एक विशिष्ट प्रार्थना थी जिसमें रिट याचिका से बकाया वेतन, वेतन वृद्धि, वरिष्ठता एक जैसे परिणामी राहत के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन फैसले ने कोई निर्देश नहीं दिया। इस संबंध में और इसलिए, उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया माना जाना चाहिए। हम प्रतिवादी-निगम के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। एक बार यह माना गया कि 26 अप्रैल, 1983 को वापस लेने के बाद इस्तीफा वैध नहीं रह गया था, परिणाम यह होगा कि इस्तीफा किसी भी समय लागू नहीं माना जाएगा और याचिकाकर्ता को 26 अप्रैल, 1983 से 15 अक्टूबर 1985 तक सेवा में माना जाएगा, जिस अवधि के लिए वेतन का दावा किया गया है। परिणामी आदेश में कि वह बकाया वेतन का हकदार है, विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक दावा है जो राहत से उत्पन्न होता है, एक मानी गई घोषणा से कि वह सेवा में था और इसलिए, उसे काम किया हुआ माना जाएगा और संकेत अवधि के लिए वेतन का हकदार है।

(2) प्रतिवादी निगम के विद्वान वकील की अगली दलील यह थी कि सीएम नंबर 634 की बर्खास्तगी के मद्देनजरयाचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का हकदार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के इस कथन से भी हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। उस आवेदन में दिए गए आदेश को न्यायिक नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है। विद्वान न्यायाधीशों ने केवल यह कहा कि याचिकाकर्ता को कोई अन्य उपाय अपनाना चाहिए जो उसके लिए खुला हो, और उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है। यह भी देखा जा सकता है कि श्री ब्रह्म दत्त शर्मा के मामले (सुप्रा) में निर्णय से प्रतिवादी के विद्वान वकील को कोई सहायता नहीं मिली है क्योंकि मामले में प्रार्थना प्रतिवादी को रिट में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्देश देने के लिए है। स्वयं याचिका. वह एक ऐसा मामला था जहां मूल रूप से सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सवाल उठाया गया। उस रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। हालाँकि गुण-दोष के आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सका, लेकिन उक्त उल्लंघन ने बर्खास्तगी के आदेश को अमान्य कर दिया। तदनुसार, बर्खास्तगी का आदेश बिना किसी अन्य निर्देश के रद्द कर दिया गया। बर्खास्त सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और सरकार ने सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 470 के तहत नई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। जब कारण

बताओ नोटिस यह बताने के लिए जारी किया गया था कि पेंशन लाभ को अस्वीकार या कम क्यों नहीं किया जा सकता है, तो याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जो पहले की रिट याचिका से उत्पन्न हुआ था, उस आवेदन को उच्च द्वारा अनुमति दी गई थी। अदालत। जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो पता चला कि माना गया कि सिविल विविध आवेदन नहीं था। रखरखाव योग्य. ऐसा इस आधार पर किया गया था कि, बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली पहले दायर की गई रिट का लापरवाही से निपटारा कर दिया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ भी लंबित नहीं रहा। पिछली रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस आधार पर कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कुछ उल्लंघन हुआ था, जिसमें अधिकारी की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को नहीं बताई गई थी। उन परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता किसी विविध आवेदन में पिछली याचिका से उत्पन्न प्रश्न पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है. एकमात्र अन्य उपाय जिसका वह लाभ उठा सकता था, वह था बकाया वेतन का दावा करते हुए एक नियमित मुकदमा दायर करना, लेकिन यद्यपि उसके पास वह उपाय था, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हमें उसे एक अलग मुकदमा दायर करने का निर्देश देना चाहिए। वेतन का बकाया. पहले के आदेश को भी राहत देने वाला माना जाएगा। हमें उस आदेश को लागू करना ही होगा चाहे वह रिट याचिका के माध्यम से हो या अवमानना याचिका के रूप में। हम तदनुसार इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी-निगम को 26 अप्रैल, 1983 से 15 अक्टूबर, 1985 तक की अवधि के लिए वेतन का बकाया जारी करने का निर्देश देते हैं।

(3) उपरोक्त दी गई राहत याचिकाकर्ता को आज से दो महीने की अवधि के भीतर दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर राहत नहीं दी जाती है, तो दो महीने के बाद की अवधि के लिए देय राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा